बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना–1

(पंजीयन–633/2003)

अध्यक्ष
कृष्ण मुरारी शर्मा
☎ : 2224282(O), 2353207(R)

महासचिव
विपिन कुमार सिन्हा
☎ : 2205421(R), 9835253822(M)

उपाध्यक्ष
भगलू रजक
सोहैब अहमद
संयुक्त सचिव
केशव कुमार सिंह
केशव रंजन प्रसाद
कोषाध्यक्ष
महेश प्रसाद गुप्ता
☎ : 2232755(O), 2262597(R)

पत्रांक– 12 दिनांक 4–3–06

सेवा में,

मुख्य सचिव, बिहार,
निगरानी आयुक्त, बिहार,
सचिव,
कार्मिक एवं प्र०सु० विभाग, बिहार,
अपर महानिदेशक,
निगरानी अन्वेशषण ब्यूरो, बिहार,

विषयः– दिनांक–3–3–2006 को हिन्दुस्तान समाचार–पत्र में प्रकाशित समाचार (राशन धोटाले में 50 अफसर पर मुकदमें के आदेश) पर ''संध'' की प्रतिक्रिया ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में ''संध'' निम्नलिखित विन्दुओं पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता है :–

(1) लक्षित जन–वितरण प्रणाली के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को लाल राशन कार्ड उपलब्ध कराने एवं इस योजना अंतर्गत खाद्यान्न वितरण कियें जाने के संबंध में समाचार–पत्रों में कई ऐंसे समाचार प्रकाशित किये गयें है, जो सरकारी परिपत्र के अनुरुप नहीं है । संध की मान्यता रही है कि सरकार भष्टाचार उन्मूलन के लिए कोई भी कार्रवाई अगर करती है तो संध उसका साथ देगा । परन्तु सरकार से हमारी बराबर यही अपेक्षा रहती है कि कार्रवाई के नाम पर बिना गहन जॉच पड़ताल किए संध के सदस्यों कें साथ ज्यादती नहीं हो और न इनके साथ भेद–भाव किया जाय ।

(2) लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करनेवाले परिवारों को लाल कार्ड उपलब्ध कराने और इनके बीच खाद्यान्नों का वितरण (दो स्तरीय कार्य) सरकार द्वारा वर्ष 1997 से शुरू किया गया । लाल कार्ड तैयार करने से पूर्व एक निश्चित आय के अन्तर्गत रह रहे गरीबी–रेखा के नीचे के व्यक्तियों के बीच खाद्यान्न वितरण करने हेतु सर्व प्रथम प्रखंडो को सूची बनाने का निदेश दिया गया । आप सहमत होंगे कि प्रखंड में कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों की कमी है और इतने बडे पैमाने पर सूची तैयार करने के लिए आधारभूत संरचना भी प्रखंड विकास पदाधिकारी को नहीं है । प्रखंड विकास पदाधिकारी के जिम्मे योजनाओं के कार्यान्वयन से लेकर सामाजिक सुरक्षा का कार्य और विधि – व्यवस्था संबंधी कार्यो का निष्पादन भी है। फिर भी एक निर्धारित समय–सीमा के अन्तर्गत सरकारी दबाव में शिक्षकों एवं अन्य सरकारी एजेंसियों से सूची का निर्माण कराया गया एवं आम सभा से इसे पारित कराया गया समयाभाव के

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना–1

(पंजीयन–633/2003)

अध्यक्ष
कृष्ण मुरारी शर्मा
☎ : 2224282(O), 2353207(R)

महासचिव
विपिन कुमार सिन्हा
☎ : 2205421(R), 9835253822(M)

उपाध्यक्ष
भगलू रजक
सोहैब अहमद
संयुक्त सचिव
केशव कुमार सिंह
केशव रंजन प्रसाद
कोषाध्यक्ष
महेश प्रसाद गुप्ता
☎ : 2232755(O), 2262597(R)

चलते इसमें अनियमितता उजागर होना स्वभाविक है। तदुपरान्त वर्ष 1998 में गरीबी रेखा से नीचे बसर कर रहे लोगों की सूची से लाल कार्ड वितरित करने का आदेश हुआ। इसके तहत निश्चित समय सीमा के अन्तर्गत बिना आधारभूत संरचना के लाल कार्ड वितरित किया गया और खाद्यान्नों की आपूर्ति इसी लाल कार्ड के आधार पर किया जाने लगा। वितरण पंचायत स्तर पर गठित जन प्रतिनिधियों के निगरानी समिति एवं पंचायत स्तर के पदाधिकारियों के समक्ष में किया गया।

(3) खाद्यान्नों का आवंटन राज्य सरकार द्वारा जिला पदाधिकारी के नाम से किया जाता है और जिला पदाधिकारी विभिन्न माध्यम से उचित मूल्य विक्रेताओं के नाम से खाद्य उप आवंटित करते हैं। उचित मूल्य विक्रेता–गण येन–केन–प्रकारेण (विचौलियों के माध्यम से) राशि उपलब्ध कराकर बैक ड्राफ्ट बना कर राज्य खाद्य निगम के जिला प्रबंधक को ड्राफ्ट उपलब्ध कराते हैं। ड्राफ्ट उपलब्ध कराने के उपरान्त प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी / आपूर्ति निरीक्षक की देख–रेख में उचित मूल्य विक्रेताओं के द्वारा खाद्यान्न का उठाव किया जाता है। खाद्यान्न उचित मूल्य विक्रेताओं के द्वारा अपने दूकानों पर लायें जाने के उपरांत आपूर्ति विभाग के आपूर्ति निरीक्षक/ प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी जाकर भंडार का सत्यापन करते हैं और वितरण हेत आदेश देते हैं। इस प्रक्रिया में प्रखंड विकास पदाधिकारी /अनुमण्डल पदाधिकारी /जिला पदाधिकारी कहीं नहीं आते हैं। जिला पदाधिकारी खाद्यान्न का उप आवंटन करते हैं और वितरण की सारी जिम्मेवारी आपूर्ति विभाग के पदाधिकारियों की होती है। अनुमण्डल पदाधिकारी अनुज्ञप्ति देने वाले पदाधिकारी हैं। सरकार के मंत्री/ सचिव से लेकर जिला पदाधिकारी के जो पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी है–वही जिम्मेवारी अनुमण्डल पदाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी की होती है। लक्षित जन–वितरण प्रणाली के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को लाल राशन कार्ड उपलब्ध कराने एवं इसके तहत खाद्यान्न वितरण कराने के सम्बन्ध में कई बार जॉच किया गया है और जॉचोपरान्त खाद्य एवं आपूर्ति विभाग में कार्यरत आरक्षी उप–महानिरीक्षक (खाद्यान्न) एवं आरक्षी अधीक्षक (खाद्यान्न) ने सरकार को यह सूचना दी है कि जन–वितरण प्रणाली के माध्यम से लाल कार्ड के द्वारा खाद्यान्न वितरण कराने में काफी अनियमितता हो रही है और इसका सही ढंग से पर्यवेक्षण नहीं हो पा रहा है। पर्यवेक्षण के लिए इस कोषांग के द्वारा जन–वितरण प्रणाली की पूरी व्यवस्था को जिम्मेवार बताया गया है। भारत के प्रधान मंत्री ने भी संसद में जन–वितरण प्रणाली में कई त्रुटियों के संबंध में ध्यान आकृष्ट कराने हेतु इसमें सुधार के लिए बल दिया है। बिहार के उप मुख्य मंत्री, श्री सुशील कुमार मोदी /मुख्य सचिव ने भी इस बात से सहमति व्यक्त किया है कि यह एक घोटाला नहीं है, बल्कि अनियमितता है; जिसमें अपेक्षित सुधार की आवश्यकता है।

(4) अगर किसी जिले में कोई अपराधिक घटना होती है तो उस घटना के लिए आरक्षी अधीक्षक और थानेदार को घटना में संलिप्त नहीं माना जाता है। यह प्रशासनिक विफलता हो

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना–1

(पंजीयन–633/2003)

अध्यक्ष
कृष्ण मुरारी शर्मा
☎ : 2224282(O), 2353207(R)

महासचिव
विपिन कुमार सिन्हा
☎ : 2205421(R), 9835253822(M)

उपाध्यक्ष
भगलू रजक
सोहैब अहमद
संयुक्त सचिव
केशव कुमार सिंह
केशव रंजन प्रसाद
कोषाध्यक्ष
महेश प्रसाद गुप्ता
☎ : 2232755(O), 2262597(R)

सकता है, लेकिन अपराधिक मामला नहीं बनता है। उसी प्रकार किसी जिले में साम्प्रदायिक दंगा होता है तो उस जिले के जिला पदाधिकारी/ आरक्षी अधीक्षक पर दंगा के लिए मुकदमा दायर नहीं किया जाता है। अगर ऐसा होता तो दंगा ग्रस्त जिलों के जिला पदाधिकारी/आरक्षी अधीक्षक पर प्राथमिकियॉ दर्ज की गयी होती । उदाहरण के लिए भागलपुर/सीतामढ़ी/पटना इत्यादि स्थानों पर हुए सम्प्रदायिक दंगों के लिए जिला पदाधिकारी /आरक्षी अधीक्षक पर मुकदमा दायर नहीं किया गया ।

(5) ''संध '' यह भी बतलाना चाहता है कि प्रशासनिक दायित्व और अपराधिक षडयंत्र दोनों अलग–अलग विषय हैं। अगर प्रशासनिक विफलता को अपराधिक षडयंत्र के साथ जोड़ दिया जाय तो यह नैसर्गिक न्याय के विरूद्ध होगा और सारी प्रशासनिक प्रणाली विषाक्त हो जायेगी । इसलिए लाल कार्ड के निर्माण एवं खाद्यान्नों के वितरण में हुई अनियमितताओं को दो दृष्टि से देखा जाना चाहिए :– (1) अपराधिक संलिप्तता (2) प्रशासनिक विफलता । जो व्यक्ति/कर्मचारी/पदाधिकारी खाद्यान्न के वितरण में हुई गड़बड़ी के लिए सीधे जिम्मेवार है–उनकी अपराधिक संलिप्तता तो समझ में आती है, परन्तु पर्यवेझण के लिए जिम्मेवार पदाधिकारी को अपराधिक संलिप्तता में सम्मिलित करना कतई उचित नहीं है और संध इसका कड़े शब्दों में विरोध करता है ।

(6) बिहार में 38 जिले है और लाल कार्ड के तहत खाद्यान्न का वितरण वर्ष 1997 से वर्ष 2006 तक हो रहा है । जो गड़बडियॉ वर्ष 1997 से 2001 तक थी, वही अनियमितता आज भी हो रही है। स्थिति में कोई बदलाव नही आया है । फिर वर्ष 1997 से 2001 तक मात्र 4 जिलों में निगरानी जॉच करा कर कार्रवाई क्या न्यायोचित है ? यह विचारणीय बिन्दु है । संध यह मॉग करता है कि वर्ष 1997 से 2006 तक बिहार के सभी जिलों में गरीबी रेखा से नीचे बसर कर रहे लोगों के बीच खाद्यान्न वितरण हो रहे अनियमितता की जॉच करायी जाय। सरकार मंत्री /सचिव से लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं आपूर्ति विभाग के पदाधिकारियों /निरीक्षकों की भूमिका की गहन जॉच करें औा उनके उत्तरदायित्व का निर्धारण करें। उत्तरदायित्व के निर्धारण के बाद यह देखा जाय कि किन व्यक्तियों/कर्मचारियों/पदाधिकारियों की अपराधिक संलिप्तता है और उनपर अपराधिक मुकदमा दायर किया जाय।

(7) '' संध '' यह भी मॉग करता है कि जन–वितरण प्रणाली को बिना दुरूस्त किए इस प्रकार के सरकारी योजनाओं का कार्यान्वयन करना दोषपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण है। अतः जबतक जन–वितरण प्रणाली का सुदृढीकरण नहीं किया जाता है , तबतक इन योजनाओं का कार्यान्वयन स्थगित कर दिया जाय अन्यथा हमारे निर्दोष पदाधिकारी–गण पर अनावश्यक रूप से भ्रष्टाचार का आरोप लगेगा। उनके विरूद्ध गलत तरीके से मुकदमे दायर कियें जायेंगे और सरकारी योजनाओं के

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना–1

(पंजीयन–633/2003)

अध्यक्ष
कृष्ण मुरारी शर्मा
☎ : 2224282(O), 2353207(R)

महासचिव
विपिन कुमार सिन्हा
☎ : 2205421(R), 9835253822(M)

उपाध्यक्ष
भगतू रजक
सोहैब अहमद
संयुक्त सचिव
केशव कुमार सिंह
केशव रंजन प्रसाद
कोषाध्यक्ष
महेश प्रसाद गुप्ता
☎ : 2232755(O), 2262597(R)

पत्रांक– -4- दिनांक.....

कार्यान्वयन पर उसका बुरा असर पडेगा। हम यह भी मॉग करते हैं कि किसी भी पदाधिकारी के विरूद्ध अपराधिक एवं प्रशासनिक कार्रवाई करने से पूर्व उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिया जाना चाहिए ।

(8) अंत में दिनांक 19.2.2006 को सम्पन्न संध की आम सभा में माननीय मुख्य मंत्री के इस अश्वासन की ओर भी ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि पदाधिकारियों को अनावश्यक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जायेंगा तथा सोंच–विचार कर हीं दोषी पदाधिकारियों के विरूद्ध ऐसी कार्रवाई होगी । ऐसा नहीं होने से बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों का मनोबल गिरेगा और इसका कुप्रभाव बिहार के विकास पर भी पड़ेगा।

ह०/–
(विपिन कुमार सिन्हा)
महा सचिव

ह०/–
(कृष्ण मुरारी शर्मा)
अध्यक्ष

ज्ञापांक – 12 पटना,दिनांक 4-3-06

प्रतिलिपि – माननीय मुख्य मंत्री के सचिव/ विशेष सचिव, मुख्य मंत्री सचिवालय बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।उनसे अनुरोध है कि माननीय मुख्य मंत्री का ध्यान इस बिन्दु पर आकृष्ट कराने की कृपा की जाय।

प्रतिलिपि – सचिव, खाद्य एवं आपूर्ति वाणिज्य विभाग बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(विपिन कुमार सिन्हा)
महा सचिव

ज्ञापांक– 12 दिनांक – 4-3-06

प्रतिलिपि– सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं अग्रतर कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

4/3/06.

(विपिन कुमार सिन्हा)
महा सचिव